

उत्तरांचल शासन

(वैट-6)

वित्त विभाग

सं० 245 / XXVII(8)/वाणिज्यकर(वैट)/2006

दिनांक: देहरादून: मार्च 29, 2006

अधिसूचना

राज्यपाल, उत्तरांचल मूल्य वर्धित कर अधिनियम, 2005(अधिनियम संख्या 27 वर्ष 2005)की धारा 4 की उपधारा (4) के साथ पठित उत्तर प्रदेश साधारण खण्ड अधिनियम, 1904 (अधिनियम संख्या 1, वर्ष 1904) (उत्तरांचल राज्य में यथा प्रवृत्त) की धारा 21 के अधीन प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए, अधिनियम की अनुसूची II (ख) में दिनांक 1 अप्रैल 2006 से निम्नलिखित संशोधन करने की स्वीकृति प्रदान करते हैं-

अनुसूची-II (ख)में क्रमांक 132 की वर्तमान प्रविष्टि के बाद स्तम्भवार निम्न प्रविष्टि बढ़ा दी जायेगी, अर्थात्-

क्र०स०	माल का वर्णन
1	2
133	प्लाईवुड उत्पाद अर्थात् ब्लॉक बोर्ड, फ्लश डोर एवं विनीयर

आज्ञा से

(इन्दु कुमार पांडे)  
प्रमुख सचिव वित्त

सं० / XXVII(8)/वाणिज्यकर(वैट)/2006तददिनांक

प्रतिलिपि प्रेषित-

1-कमिश्नर, वाणिज्य कर, उत्तरांचल, देहरादून को सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु इस आशय से प्रेषित कि वे समस्त अधिकारियों को तुरंत इस अधिसूचना से अवगत कराने का कष्ट करें।

2-निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री, उत्तरांचल, रूड़की को उपरोक्त अधिसूचना के अंग्रेजी अनुवाद सहित इस आशय से प्रेषित कि इनको उत्तरांचल गजट में प्रकाशित करके इसकी 250-250 प्रतियां शासन को तुरन्त उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

आज्ञा से

प्रमुख सचिव वित्त

In pursuance of the provisions of Clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Notification No. 245/XXVII(8)/Vanijya kar(VAT)/2006 dated 29-3-2006 for general information.

## UTTARANCHAL SHASAN

### VITTA VIBHAG

NO. 245/XXVII(8)/Vanijya kar(VAT)/2006

DATED: DEHRADUN : : March 29, 2006


### NOTIFICATION

In exercise of the powers conferred under sub-section (4) of section 4 of the Uttaranchal Value Added Tax Act, 2005 (Act No.27 of 2005) read with section 21 of the Uttar Pradesh General Clauses Act, 1904 (U.P. Act No. 1 of 1904), (as applicable to the State of Uttaranchal), the Governor is pleased to make with effect from April 1, 2006, the following amendment in Schedule II (B) of the said Act-

After the existing entry at serial No. 132 in Schedule II(B), the following entry columnwise shall be added, namely

Sr.No.	Description of Goods
1	2
133	Plywood product namely block board, flush door and veneer

By Order



(INDU KUMAR PANDE)

PRINCIPAL SECRETARY FINANCE